वन एवं पया[वरण मंğालय अधसूचना Đ. G.S.R./711(E) Ŏदनांक 4 अगèत, 1992 भाग तीन: खŎड चार (जी) के ɮवारा Ĥद×त शिÈतयɉ के अÛतग[त केÛġ शासन Ǔनàन Ǔनयम बनाता है, वÛय Ĥाणी (संर¢ण) अधǓनयम 1972 (Đ. 53 वष[1972) कȧ धारा 63 उपधारा (1) के खŎड (एफ) एवं पशुवाǑटका कȧ माÛयता Ǔनयम, 1992

धारा 1 सं¢Ü त नाम व लागू होने कȧǓतथ: (1) ये Ǔनयम ''पशुवाǑटका कȧ माÛयता Ǔनयम 1992'' कहलाएंगे।(2) ये Ǔनयम 'इनके राजपğ मΛĤकाशत होने कȧǓतथ से लागू होने।नोट: ये Ǔनयम भारत शासन राजपğ (असाधारण) भाग II खŎड 3(1) Ŏदनांक 4-8-92 को पृçठ 8 से 13 पर Ĥकाशत हुए अतः Ǔनयम लागू होने कȧǓतथ 4-8-92 हुई।धारा 2. पǐरभाषाएं - इस Ǔनयम मΛ जब तक क कोई बात Ǔनयम या संदभ[के वपरȣत न हो: (ए) 'अधǓनयम' : से ता×पय['वÛयĤाणी' (संर¢ण) अधǓनयम 1972 (Đ. 53 वष[1972) से है।(बी) 'बाड़ा' (Enclosure) से ता×पय[पशुवाǑटका के Ĥाणयɉ के रहवास के लये Ĥद×त èथान से है। (सी) 'कटघरा अवरोध (Enclosure barrier)' से ता×पय[है वह वाèतवक अवरोध जो बाड़े के अÛदर एक पशु के रहने के (डी) 'समाÜत के खतरे वालȣĤजाǓतयां (Endangered Species)' से ता×पय[है वह ĤजाǓतयां जो अधǓनयम कȧ सूचीI मΛसिàमलत ह¢। 1(डीडी) ''अǓतसंकटापÛन ĤजाǓत'' से बाघ, एशयाई शेर और पैÛथर से भÛन ऐसी संकटापÛन ĤजाǓत अभĤेत है िजनकȧदेश मΛ कुल संÉया सभी चडयाघरɉ मΛ कुल मलाकर 200 से अधक नहȣं है''।(ई) ''फाम['' : से ता×पय[इन Ǔनयमɉ कȧ पǐरशçट (A) मΛŎदये फाम[से ह¢। (एफ) ''Ĥदश[न का उƧेæय'' (Performing purpose) से ता×पय[है वह काय[जो पशुओं को अĤाकृǓतक, काय[करने को बाÚय करे िजसमΛ सरकस के करतब भी सिàमलत ह¢। 2(एफ-एफ) ''बचाव केÛġ'' से अभĤेत इस अधǓनयम कȧ अनुसूचयɉ मΛवǓनŎद[çट पशुओं कȧ देखभाल के लए èथापत केÛġ, जो लोगɉ के Ĥदश[न के लये नहȣं खुले ह¢।'' (जी) ''दश[कɉ को दूर रखने हेतु अवरोध (Stand of Barrier)'' से ता×पय[है वह अवरोध जो कटघरा अवरोध के बाहरȣसरे से दूर लगा वाèतवक अवरोध: (एच) ''पशुवाǑटका संचालक (Zoo operators)'' से ता×पय[है वह åयिÈत जो पशुवाǑटका के Đयाकलापɉ पर अंǓतम Ǔनयंğण रखता हो, परंतुःलये बना हो।

1. वन एवं पया[वरण मंğालय - अ.Đ./सा.का.Ǔन./186(अ) Ŏद. 8-2-04ɮवारा (डी.डी.) जोड़ी गई।2. पया[. एवं वन मंğालय अ.Đ./सा. का.Ǔन./186 (अ) Ŏद. 6-2-04 भारत का राज. (असां) भाग-2 खण्उ 3(1) Ŏद. 9-2-04 पृ. 1-7 पर Ĥकाशत से 'एक-एक' जोड़ा गया।

I
I
.
I
.

सदèय को पशुवाǑटका संचालक माना जावेगा।
का Ĥभारȣ हो, तथा कàपनी को पशुवाǑटका के Đयाकलापɉ कȧ उ×तरदायी हो, को पशुवाǑटका का संचालक माना जावेगा।
कसी साझे कȧ संèथा (Firm) या एकल åयिÈत का संघ (Association) के सàबÛध मΛ कोई एक भागीदार या कसी कàपनी के सàबÛध मΛ उसके संचालक, åयवèथापक, (Manager) सचव या अÛय अधकारȣ जो पशुवाǑटका

(3) माÛयता हेतु आवेदन: धारा 38(H) के अÛतग[त पशुवाǑटका कȧ माÛयता हेतु आवेदन फाम[''A'' मΛ केÛġȣय पशुवाǑटका Ĥाधकरण को Ŏदया जावेगा।(4) आवेदन फȧस (अ) Ĥ×येक आवेदन के लये, जो Ǔनयम कȧ धारा (3) के अÛतग[त Ĥèतुत कया जावेगा, ǽपये पांच सौ फȧस के Ǿप मΛ जमा कये जावΛगे। (ब) फȧस कȧ राश डमांड ĜाÝट या पोèटल आड[र के ɮवारा जमा कȧ जावेगी जो केÛġȣय पशुवाǑटका Ĥाधकरण को देय हो।(5) आवेदन के साथ Ĥèतुत होने वाले अभलेख तथावववरण जो Ŏदया जाना चाǑहए:Ĥ×येक आवेदन के साथ Ǔनधा[ǐरत फȧस कȧ राश का ĜाÝट या पोèटल आड[र लगाया जावेगा तथा फाम['A' मΛ दȣ गई बातɉ का èपçट ववरण Ŏदया जावेगा।(6) जांच करने तथा सूचना मंगाने कȧ शिÈत: कसी पशुवाǑटका को अधǓनयम कȧ धारा 38(H) के अÛतग[त माÛयता देने के पूव[, Ĥाधकरण, पशुवाǑटका ɮवारा फाम['A' मΛ दȣ गई जानकारȣ के सàबÛध मΛ ऐसी जांच कर सकता है जो आवæयक समझे और अǓतǐरÈत जानकारȣ भी मांग सकता है। (7) माÛयता Ĥदाय करने कȧ शतɏ: कसी भी पशुवाǑटका को माÛयता Ǔनàन शतɉ पर दȣ जावेगी, यथा : (ए) जब तक èथाई Ǿप से माÛयता न दȣ गई हो, माÛयता ऐसी अवध के लये, जो एक वष[, से कम हो, और जो माÛयता पğ मΛ दशा[ई गई हो, के लये होगी।(बी) यह क पशुवाǑटका, ऐसे मानक (Norms) एवं मापदंड (Standard) जो अधǓनयम या इन Ǔनयमɉ मΛǓनधा[ǐरत है, या जो इनके अÛतग[त लागू कये जावΛगे, का पालन करेगी।(8) माÛयता नवीकरण: (अ) माÛयता ĤाÜत पशुवाǑटका, जो माÛयता नवीनीकरण चाहती है, माÛयता कȧ अवध कȧसमाÜत के तीन माह पूव[, फाम['A' मΛ केÛġȣय पशुवाǑटका Ĥाधकरण को आवेदन देगी।(ब) माÛयता के नवीकरण मΛǓनयम 3, Ǔनयम 4, Ǔनयम 5,Ǔनयम 6 और Ǔनयम 7, उसी पकार लागू होगΛ, जैसे माÛयता Ĥदाय करते समय लागू होते ह¢। केवल नवीकरण के समय फȧस कȧ राश, दो सौ ǽपये देय होगी।(9) पशुवाǑटका का वगȸकरण: पशुवाǑटका कȧ माÛयता हेतु मानक एवं मापदंड Ǔनधा[ǐरत करने,

तथा उनके þवारा कये काय[का मूãयांकन करने के उƧेæय से, पशुवाǑटका को उसके ¢ेğफल, पशु संÉया, पशुओं कȧ ĤजाǓतयां तथा दश[कɉ कȧ संÉया के आधार पर नीचे Ǒदये अनुसार चार Įेणयɉ मɅ वभािजत कया गया है:

III. उस पशुवाǑटका के सàबÛध मɅ, जो केÛġ शासन, राÏय शासन या èथानीय Ĥाधकरण कȧ हो, या िजस पर इनका Ǔनयंğण हो, वह åयिÈत िजसको केÛġ शासन, राÏय शासन या Ĥाधकरण ने पशुवाǑटका के काय[सàपादन हेतु ǓनयुÈत कया हो, को पशुवाǑटका संचालक माना जावेगा।

पशुवाǑटका कȧ Įेणी	बड़ी	मÚयम	छोटȣ	लघु
1. पशवाǑटका का ¢ğफल (हÈटयर) म	75 ह. स अधक	50-75 ह.	20-50 ह.	20 ह. स कम
2. Ĥदशत होन वाल पशओ कȧ सÉया	750 स अधक	500-750	200-499	200 तक
3. पशओ कȧ ĤजाǓतया	75 स अधक	50-75	20-49	20 तक
4. समािÜत क खतर वालȣ ĤजाǓतयɉ कȧ संÉया	15 स अधक	10-15	5-9	5 स कम
5. दशकɉ कȧ सÉया (वाषक)	7.5 लाख स अधक	5-7.5	2-5 लाख	2 लाख स कम

(10) माÛयता Ĥदाय करने हेतु धारा 38H के अÛतग[त, Ĥसम मान (Norm)एवंमापदÖड (Standard) :केÛġȣय पशुवाǑटका Ĥाधकरण, पशुवाǑटका को पशुओं कȧ सुर¢ा और संर¢ण के उƧेæय तथा अÛयमानक, मापदंड और अÛय बातɉको, जो नीचे दȣ गई ह¢Úयान मɅ रखकर माÛयता देगा, यथा:

सामाÛय

(1) कसी चͫडयाघर के संचालन का Ĥमुख उƧेæय वÛय जीवɉ का संर¢ण करना होगा और कोई चडयाघर कसीऐसे (2) कोई भी पशुवाǑटका, इस अधǓनयम या Ǔनयमɉ का उãलंघन कर कोई पशु ĤाÜत नहȣं करेगी।(3क) कोई भी चͫडयाघर, कसी भी पशु के ĤǓत/पशुओं के ĤǓत करता Ǔनवारण अधǓनयम, 1960 (1960 का 59) के अधीन ĤǓतषƨĐूरता नहȣं होने देगा।(3ख) ऐसी ĤजाǓतयɉ से संबंधत पशुओं को, िजनके करतब Ǒदखाने पर पशुओं के ĤǓत Đूरता Ǔनवारण अधǓनयम, 1960 (1960 का 59) के अधीन पाबंदȣ लगा दȣ गई है, एक èथान से दूसरे èथान पर नहȣं ले जाया जाएगा:

रखे जा सकɅ गे।(4) कोई भी पशुवाǑटका, कसी पशु को, मैदान मɅ हाथी और पहाड़ी ¢ेğ मɅ सुरागाय को छोड़कर, सवारȣ ढोने या वाहन खींचने के काय[मɅ नहȣं लेगी।(5) कोई भी पशुवाǑटका, कसी पशु को जंजीर से बांधकर या दांत Ǔनकाल कर नहȣं रखेगी जब तक क ऐसा करना उनके लये Ǒहतकर न हो।(6) कोई भी पशुवाǑटका, कसी गंभीर Ǿप से बीमार, चोट खाया, या दुब[ल पशु का Ĥदश[न नहȣं करेगी।(7) Ĥ×येक पशुवाǑटका, सÜताह मɅ कम से कम एक Ǒदन, दश[कɉ के लए बÛद रहेगी।(8) Ĥ×येक पशुवाǑटका कȧ पारध दȣवार से Ǔघरȣ रहेगी िजसकȧ ऊँचाई जमीन तल से कम से कम दो मीटर होगी। वत[मान मɅ उपलÞध पशुवाǑटकाएं, जो सफारȣ (Safari) या Ǒहरण उɮयान (Deer Park) के Ǿप मɅ ह¢, उनमɅ चेन से जुड़ी उचत डजाइन एवं नाप कȧ फेिÛसंग (बागड़) बनी रहेगी।(9) पशुवाǑटका के संचालक, पशुवाǑटका का वातावरण व¢ृ लगाकर, चारɉ और हǐरयालȣ कर तथा उसमɅ घास का मैदान या पुçप वाǑटका लगाकर èवांछ एवं èवèथ रखɅगे।(10) कसी भी पशुवाǑटका मɅ भवनɉ का ¢ेğफल पशुवाǑटका के ¢ेğफल का 25% से अधक नहȣं होगा। भवनɉ के ¢ेğ मɅĤशासकȧय भवन, भंडार गृह, रेèटोरɅट .... (Kiosks), दशा[नाथȾ के आराम गाह, अèपताल, पशुघर और पÈकȧ सड़क सिàमलत है।[1](11क) Ĥ×येक चͫडयाघर, चͫडयाघर मɅ रखे गये पशुओं के लए भूम, पानी, ǒबजलȣ और ¢ेğ कȧ वातावरणीय िèथǓत को Úयान मɅ रखते हुए, एक संĒहण योजना तैयार करेगा और चͫडयाघर मɅ संĤदश[त करेगा। (11ख) बचाव केÛġ, मुÉय वÛयजीव वाड[न को सूचत रखते हुए, उनके पास लाए वÛय पशुओं को èवीकार कर सकेगा।'' Đयाकलाप कȧ अनु£ा नहȣं देगा, जो वÛय पशुओं के कãयाण से असंगत है।''

परÛत ऐसे पशु èथायी Ǿप से उपयुÈत आवास सुवधा सǑहत सक[सɉɮवारा उनके पसंद के कसी èथान पर

Ĥशासकȧय एवं कम[चाǐरयɉ कȧǾपरेखा

(12) Ĥ×येक पशुवाǑटका मɅ एक पूण[कालक Ĥभारȣ अधकारȣ होना चाǑहये और उसको उचत ĤशासǓनक एवं व×तीय शिÈतयां Ĥदान कȧ जाना चाǑहये, जो पशुवाǑटका के उचत रख-रखाव और पशुओं कȧ देख-रेख के लये आवæयक है। (13) Ĥ×येक बड़ी एवं मÚयम पशुवाǑटका मɅ, कम से कम एक पूण[कालक Èयूरेटर (अजायब घर का र¢क) होना चाǑहये, जो पशुओं कȧ देख-रेख, और कटघरɉ के रख-रखाव का पूण[Ǿप से उ×तरदायी हो। (14) Ĥ×येक बड़ी पशुवाǑटका मɅ कम से कम दो पूण[कालक पशु चक×सक तथा मÚयम एवं छोटȣ पशुवाǑटका मɅ एक पशु चक×सक पूण[कालक Ǿप मɅ होना चाǑहये। लघु पशुवाǑटका मɅकसी बाहरȣचक×सक से ĤǓतǑदन पशुओं कȧदेखरेख कȧåयवèथा होना चाǑहए।[2](14क) Ĥ×येक चडया घर मɅǓनàन अह[तावाले पशुचक×सक हɉगे -

केÛġ8य च߹डयाघर Ĥाधकरण ɮवारा माÛयताĤाÜत कसी च߹डयाघर मΛÛयूनतम 5 वष[का काय[अनुभव भी हो और राÏय पशुचक×सा पǐरषद या भारतीय पशुचक×सा पǐरषद से सàयकतः रिजèĚ8कृत होना चाǑहए।

Ĥवग[

मÚयम च߹डयाघर छोटे च߹डयाघर Ïयेçठपशुचक×सक के पास बी.वी.एस सी और ए एच कàÛयूनतम शै¢क अह[ता या समतुãय हो औरवशाल च߹डयाघर Ïयेçठपशुचक×सक कǓनçठपशुचक×सक

1

1

1. वन एवं पया[वरण मÛğालय - अ.Đ./G.S.R./186(अ) Ǒद. 6.2.04 से 'II-क' तथा 'II-ख' जोड़े गये।2. पया[. एवं वन मÛğालय अध. Đ. सा. का Ǔन./106 (अ) Ǒद. 6.2.04 भा. के राजपğ (असा.) भाग 2 (खÖड 3) (1) Ǒद. 9.2.04 पृ. 1-7 पर Ĥकाशत

पशु चक×सा पǐरषद या भारतीय पशु चक×सा पǐरषद से सàयकतः रिजèĚ8कृत होना चाǑहए।वæववɮयालय से च߹डयाघर और वÛयजीव रोग Ĥबंधन या वÛयजीव रोग एवं Ĥबंधन मΛ माèटर डĒी हो और राÏय कǓनçठ पशुचक×सक के पास बी. वी. एस सी और ए एच कàÛयूनतम शैक्ष¢क अह[ता हो और माÛयता ĤाÜत

पशुओं के कटघरे, उनकà रचना, नाप एवं अÛय आवæयक वशçटताएं

(15) पशुवाǑटका मΛ समèत पशुओं के कटघरे इस Ĥकार बनने चाǑहये िजससे पशु, पशुर¢क और दश[कɉ कà सुर¢ा सुǓनिæचत रहे। दश[कɉ को पशुओं से उचत दूर8 पर रखने के लए पशुओं के कटघरे से दूर दश[कɉ के खड़े रहने के बैǐरयर तथा चेतावनी के बोड[लगे रहने चाǑहये।1(16) कसी च߹डयाघर मΛ सभी पशुबाड़े इस Ĥकार से डजाइन कए जायΛगे ताक उनके भीतर रखे गए पशुओं कà सभी जीव अपे¢ाएं पूण[हो जाएं। बाड़े ऐसे आकार के हɉगे ताक यह सुǓनिæचत कया जा सके क पशु अपने èवछंद वचरण और अßयास के लए èथान पा सकΛ । झुंडɉ मΛ रहने वाले पशुओं पर कसी वशçट पशु का अधप×य न बन सके। ऐसी ĤजाǓतयɉ कà दशा मΛ िजÛहΛ आचरण या जैवक कारणɉ से समूह मΛ न रखा जा सके, Ĥ×येक पशु के लए पृथक-पृथक बाड़ɉ का उपबंध कया जाएगा। बाड़े इन Ǔनयमɉ के पǐरशçट-2 मΛǑदए गये आयामɉ से छोटे नह8ं हɉगे। ये आयाम सक[सɉ पर लागू नह8ं हɉगे।

(17) पशु वाǑटका संचालक को पशुओं के बाड़े मΛ, पशुओं के ĤाकृǓतक Ǔनवास कà िèथǓत, कृǒğम Ǿप से यथा-संभव Ǔनम[त करना चाǑहये। पशुओं के लये छाया हेतु उचत ĤजाǓत के वृ¢ लगाना चाǑहये तथा ऐसे शरण èथलɉ का Ǔनमा[ण करना चाǑहये जो बाड़े के पया[वरणीय आवरण मΛ घुल मल जावे। जहां तक तकनीक Ǿप से संभव हो, बाहर8अवरोध खाई खोदर Ǔनम[त करना चाǑहये। 2(18) चकड़याघर मΛ, Ĥ×येक èतनपायी को खाने कàåयवèथा, खलाने के क¢/बा[ाम क¢ या Đाल मΛ, कà जाएगी। खाना खलाने के क¢ɉ या Đालɉ कà संÉया और आकार भी ऐसा होगा िजससे क शिÈतशाल8 पशु, अÛय पशुओं को पया[Üत खाना खाने से वंचत न कर सकΛ । संकटापÛन èतनपायी ĤजाǓतयɉ के लए इन Ǔनयमɉ के पǐरशçट-1 मΛयथावǓनǑद[çट आयामɉ के पृथक-पृथक खाना खलाने के क¢ कàåयवèथा कà जाएगी। Ĥ×येक क¢/कोठर8 मΛ .... (19) Ĥ×येक कटघरे/कोठर8 से अǓतǐरÈत जल, मल-मूğ तथा अवशेष जल कàǓनकासी कàåयवèथा होना चाǑहये।तथाप, जब वे अभवहन मΛ न हो, सक[स पशुओं के वचरण और अßयास के लए èथान का उपबंध करΛगे।''

(20) समाÜित के खतरे वाल8ĤजाǓतयɉ के लये बनने वाले नये कटघरɉ कà आकृǓत (Design) को केÛġ8य पशुवाǑटका Ĥाधकरण कà सलाह के उपराÛत ह8 अिÛतम Ǿप देना चाǑहए।

1. पया[. एवं वन मÛğालय अध. Đ. सा. का.Ǔन./106 (अ) Ǒद. 6.2.04 भा. के राजपğ (असा.) भाग 2(खÖड 3) (1) Ǒद. 9.2.04 पृ. 1-7 पर Ĥकाशत।2. वन पया[. तथा वन सा. का.Ǔन. 106 (अ) Ǒद. 6.2.04 से च߹डया घर कà माÛयता (संशोधन) Ǔनयम 2004 Ĥकाशत हुए। उसके ɮवारा यह संशोधन हुआ है।

(21) Ĥ×येक पशुवाǑटका को, Ĥ×येक पशु को èवाèØय कर (Shole some), अपमा[ण रǑहत (Un adulterated) उसकàआवæयकतानुसार पया[Üत माğा मΛ, समय पर भोजन Ǒदया जाना सुǓनिæचत करना चाǑहए। कसी भी पशु के आहार मΛपौिçटकता कà कमी नह8ं आना चाǑहये। (22) Ĥ×येक पशुवाǑटका मΛ कचरे के Ǔनवत[न हेतु उचत åयवèथा होनी चाǑहये, िजससे पशुवाǑटका मΛ उ×पÛन ठोस एवं तरल कचरे का सह8Ĥकार से Ǔनवत[न हो।(23) Ĥ×येक पशु के कटघरे से, अवशेष भोजन, वèतुएं, पशुओं के मलमूğ एवं अÛय कचरे कàĤǓतǑदन सफाई कà जाना चाǑहए और उसको इस Ĥकार नçट करना चाǑहए जो पशुवाǑटका कà सामाÛय सफाई के अनुǾप हो।(24) पशुवाǑटका संचालकɉ को पशुओं के वास èथान मΛ पीने योÊय पानी कà24 घÖटे åयवèथा रखना चाǑहये।(25) पशुओं के Ĥ×येक वास èथान मΛ अधकृत पशु चक×सक के Ǔनद[शानुसार कàटाणुनाशक औषध का Ǔछड़काव करना चाǑहए।

पशुओं कà देख-भाल, उनका èवाèØय एवं इलाज

(26) Ĥ×येक पशु कà देख-रेख उस पशु के लये Ĥशǔ¢त एवं अनुभवी कम[चार8ɮवारा कà जाना चाǑहये। ऐसे Ĥयास करना चाǑहए िजससे पशु को कोई असुवधा या åयवहार के कारण तनाव या शर8र को कोई हाǓन न पहुंचे।(27) पशुवाǑटका के Ĥ×येक पशु के èवाèØय कà जांच ĤǓतǑदन उनकà सुर¢ा हेतु ǓनयुÈत कम[चार8ɮवारा कà जाना चाǑहये। यǑद कोई पशु बीमार, घायल या अनावæयक तनाव से Ēèत हो तो इसकàǐरपोट[, पशु चक×सक का, त×काल इलाज करने हेतु, करना चाǑहये।(28) पशुओं कàǓनयमत Ǿप से जांच, परजीवी (Parasite) जीवाणु कà जांच सǑहत,

कå जाना चाǑहये तथा पशु ͬचͩक×सक ɮवारा Ǔनण[त अवरोधा×मक दवाएं तथा इंजेÈशन समय-समय पर देने चाǑहये।(29) पशुवाǑटका संचालक को, पशुओं कå देख-रेख करने वाले कम[चाǐरयɉ के èवाèØय का पर൴¢ण कम से कम छः माह मɅएक बार अवæय कराना चाǑहये, िजससे यह Ǔनिæचत ͩकया जा सके ͩक वे ͩकसी संĐामक बीमाǐरयɉ से पीͫड़त नह൴ं हɇ, जो पशुवाǑटका के पशुओं पर कåटाणु फैला सकɅ ।(30) Ĥ×येक पशुवाǑटका मɅ, ऐसे समèत पशुओं कå, िजनको पशुवाǑटका Ĥाͬधकरण ने समाÜत के खतरे वाल൴ माना है, पशु इǓतहास (Animal History) और उनके इलाज का काड[(Treatment Card) रखा जाना चाǑहये।

पशु ͬचͩक×सा कå सुͪवधाएं

सुͪवधाएं, औषͬधयɉ कååयापक रɅज और पशु èवाèØय देखभाल तथा रखरखाव संबंधी संदभ[पुèतकालय होगा। Ĥ×येक पशुͬचͩक×सा यूǓनट मɅआने वाले पशुओं और बीमार पशुओं कå देखभाल करने के ͧलए अलग तथा संगरोध वाड[हɉगे िजससे ͩक अÛय पशुओं मɅ फैलने वाले संĐमणɉ के अवसरɉ को, Ûयूनीकृत ͩकया जा सके।'' 1(31) Ĥ×येक ͪवशाल और मÚयम ͬचͫड़याघर के पास पूण[ͪवकͧसत पशुͬचͩक×सा यूǓनट होगी िजसमɅ आधाǐरत मैदाǓनक

1. वन पया[. तथा वन सा. का. Ǔन. 106 (अ) Ǒद. 6.2.04 से ͬचͫड़याघर कå माÛयता (संशोधन) Ǔनयम 2004 Ĥकाͧशत हुए। उसके ɮवारा यह संशोधन हुआ है।

(32) Ĥ×येक ͬचͫड़याघर मɅ वÛय पशुओं को ǓनयिÛğत और उनकå देखरेख करने के ͧलए सुͪवधाएं होगी।(33) िजन छोटे और बड़े ͬचͫड़याघरɉ मɅ पूण[ͪवकͧसत, पशु ͬचͩक×सा यूǓनट उपलÞध नह൴ं है, उनमɅ ͬचͫड़याघरɉ के पǐरसरɉमɅ कम से कम एक उपचार क¢ होगा जहां पशुओं कå नैͧमि×तक जांच कå जा सके और त×काल उपचार ͩकया जा सके।1खÖड (34) के èथान पर, Ǔनàनͧलͨखत खÖड रखा जाएगा, अथा[त: (34) ऐसा कोई पशु, िजसकå ͬचͫड़याघर मɅ मृ×यु हो जाती है तो उसकå राÏय पशु ͬचͩक×सा पǐरषद या भारतीय पशु अͧभलͨखत ͩकए जाएंगे और िजÛहɅ कम से कम छह वष[कå अवͬध के ͧलए रखा जाएगा।(35) Ĥ×येक पशु वाǑटका मɅ एक æमशान होना चाǑहये जहां मृत पशु का शव गाड़ा जावे तथा िजससे पशुवाǑटका के अÛय पशुओं पर कोई Ĥभाव न पड़े तथा पशुवाǑटका का पया[वरण दूͪषत न हो। बड़ी एवं मÚयम पशुवाǑटका मɅ पशुओं के शव एवं अÛय पशुओं के Ǔनवत[न हेतु इÛसीनेटर (Inscineator) कååयवèथा होनी चाǑहये।(36) Ĥ×येक पशुवाǑटका, से पशुओं कå, जो उस पशुवाǑटका के ͧलये केÛġ൴य पशुवाǑटका Ĥाͬधकरण ɮवारा èवीकृत ͩकये गये हɇ, बÛद൴गृह मɅĤजनन (Captive breeding) का काय[Đम बनावेगी। वे इस सàबÛध मɅ पशुवाǑटका Ĥाͬधकरण के ǓनदɅश एवं माग[दश[न का पालन करɅगे।2(37) ͩकसी पशु को, साथी के ǒबना एक वष[से अͬधक कå अवͬध के ͧलए तब तक नह൴ं रखा जाएगा जब तक ͩक ऐसा करने के ͧलए ͪवͬधमाÛय कारण न हɉ या पशु ने अपनी चरमावèथा पहले ह൴ पार कर ल൴ हो और Ĥजनन Ĥयोजनɉ के ͧलए उपयोगी नह൴ं रह गया हो। ͬचͫड़याघर के इस अवͬध के भीतर ͩकसी अकेले पशु के ͧलए साथी ढूंढने मɅ असफल रहने कå दशा मɅ पशु को केÛġ൴य ͬचͫड़याघर Ĥाͬधकरण के ǓनदɅशɉ के अनुसार ͩकसी अÛय èथान पर भेज Ǒदया जाएगा।(38) ͩकसी भी पशुवाǑटका को, ͩकसी ĤजाǓत के एक ह൴ पशु को ĤाÜत करने कå अनुमǓत नह൴ं द൴ जावेगी, जब तक ͩक ऐसा करना उस पशुवाǑटका मɅ िèथत ͩकसी एकाकå पशु के ͧलये साथी कå आवæयकता कå पूǓत[करता हो या बÛद൴गृह मɅĤजनन के ͧलये वंश बदलने के ͧलए आवæयक हो।1(39) Ĥ×येक ͬचͫड़याघर राÏय के मुÉय वÛयजीवन संर¢क के परामश[से केÛġ൴य ͬचͫड़याघर Ĥाͬधकरण ɮवारा अनुमोǑदत संकटापÛन ĤजाǓतयɉ के योजनाबƨĤजनन काय[Đम मɅ भाग लɅगे। इस Ĥयोजन के ͧलए वे केÛġ൴य Ĥदान करɅगे।

ͬचͩक×सा पǐरषद से रिजèĚ൴कृत ͩकसी पशु ͬचͩक×सक ɮवारा ͪवèतृत पोèटमाट[म ͩकया जाएगा और इसके Ǔनçकष[ͬचͫड़याघर Ĥाͬधकरण के ǓनदɅश के अनुसार Ĥजनन उधार, उपहार आǑद के Ǿप मɅ ͬचͫड़याघर के बीच पशुओं का आदन

1. वन पया[. तथा वनसा. का.Ǔन. 106(अ) Ǒद. 6.2.04 से ͬचͫड़याघर कå माÛयता (संशोधन) Ǔनयम 2004Ĥकाͧशत हुए। उसके ɮवारा यह संशोधन हुआ है। 2. पया[वरण तथा वन मÛğालय-अͬध. Đ. G.S.R./106अ/ Ǒद. 6.2.04 ɮवारा धारा 39 संशोͬधत

(40) Ĥ×येक पशुवाǑटका, अͬधक बांचे देने वाल൴ĤजाǓत कå संÉया मɅ वृͪƨ पर Ǔनयंğण के ͧलये, जनसंÉया Ǔनयंğण के उͬचत उपाय, जैसे नर-मादा को अलग-अलग रखना, Ǔनçकåटन (Sterization),……………………. (Tubectomy) फूस का ǒबछौना लगाना, …………………… (Vasectomy) आǑद उपयोग मɅ लाना चाǑहये।(41) कोई भी पशुवाǑटका, पशुओं कå ͪवͧभÛन ĤजाǓतयɉ या उसी ĤजाǓत के अÛय वंशɉ मɅ संकर Ĥजनन (Hybridization)कå अनुमǓत नह൴ं देगी।

अͧभलेख रखना, तथा सàपि×त सूची का केÛġ൴य पशुवाǑटका Ĥाͬधकरण को Ĥèतुतीकरण

(42) Ĥ×येक पशुवाǑटका, पशुओं कå जÛम से ĤाÜत, ͪवĐय, अÛय ͪववरण, एवं मृ×यु का लेखा रखेगी। Ĥ×येक पशुवाǑटका, उसमɅǑदनांक 31 माच[को रखे गये पशुओं कå सूची उसी वग[कå30 अĤैल तक केÛġ൴य पशुवाǑटका Ĥाͬधकरण को भेजेगी।(43) Ĥ×येक पशुवाǑटका Ĥ×येक ͪव×तीय वष[मɅ पशुवाǑटका मɅ मृत पशुओं का संͯ¢Üत ͪववरण तथा पोèटमाट[म कåǐरपोट[एवं अÛय पर൴¢ाओं के आधार पर मृ×यु के कारण कåǐरपोट[, अगले ͪव×तीय वष[के 30 अĤैल तक केÛġ൴य पशुवाǑटका Ĥाͬधकरण को Ĥèतुत करेगी।(44) Ĥ×येक पशुवाǑटका, Ĥ×येक ͪव×तीय वष[मɅ, उसके ɮवारा ͩकये गये ͩĐयाकलापɉ का वाͪष[क ĤǓतवेदन Ĥकाͧशत करेगा। उस वाͪष[क

ÂÚतवेदन कà ÂÚत ¡व×तीय वष[कà समािÜत के पæचात्, दो माह के अÛदर, केÛġ8य पशुवाÒटका Â◌ाधकरण को Âèतुत करेगी। इस ÂÚतवेदन कà ÂÚत जनसाधारण को भी उचत मूãय पर उपलÞध कराना चाÒहये।

शç◌ा और अनुसंधान

(45) पशुवाÒटका मΛ Â×येक पशु के कटघरे पर एक बोड[लगाना चाÒहए िजसमΛ उसमΛ पशु के सàबÛध मΛ वै£◌ाÚनक जानकार8 Âदश[त कà गई हो।(46) Â×येक पशुवाÒटका पचı, संı¢Üत ¡ववरण (Brouchers) माग[दश[क पुिèतका, आÒद Âकाशत करावेगी और उसको मुÝत मΛ या उचत मूãय पर दश[कɉ को उपलÞध करावेगी।(47) Â×येक बड़ी एवं मÚयम पशुवाÒटका को, पशुवाÒटका मΛ रखे गये पशुओं के शार8ǐरक åयवहार, जनसंÉया कà गÚत, मूलभूत आंकड़ɉ के आधार पर ¡वèतृत èटडी कà जा सके। इन मूलभूत आंकड़ɉ का अÛय पशुवाÒटकाएं तथा केÛġ8य पशुवाÒटका Â◌ाधकरण को आदान-Âदान ͩकया जाना चाÒहये।चͩक×सकàय सावधाÚनयɉ के लेखे आÒद केÛġ8य पशुवाÒटका Â◌ाधकरण के Úनदıशɉ के अनुसार रखना चाÒहये ताͩक इन

दश[कɉ कà सु¡वधा

(48) पशुवाÒटका संचालक को, दश[कɉ के ͧलये पशुवाÒटका मΛ सु¡वधाजनक èथानɉ पर आवæयक सु¡वधाएं जैसे èनानागार, आरामगाह, पीने के पानी कà åयवèथा रखना चाÒहये।(49) Â×येक पशुवाÒटका मΛ, Â◌ाथͧमक ͬचͩक×सा जहर ¡वरोधी दवा सरलता आÒद से उपलÞध होना चाÒहये।(50) शार8ǐरक Ǿप से अ¢म दश[क, तथा ऐसे दश[क जो åह8ल चेयर मΛ हɉ, को भी देखने कà åयवèथा होनी चाÒहये।

योजना एवं ¡वकास

(51) Â×येक पशुवाÒटका को अपने ¡वकास के ͧलये द8घ[काल8न योजना बनाना चाÒहये। Â×येक पशुवाÒटका कà एक Âबंध योजना भी बनानी चाÒहये िजसमΛ अगले छः वषɟ मΛ होने वाल8 गÚत¡वͬधयां एवं ¡वकास कायɟ का ¡ववरण होना चाÒहये। इस योजना कà एक ÂÚत केÛġ8य पशुवाÒटका Â◌ाधकरण को भी भेजी जाना चाÒहऐ।₁10क. सक[सɉ और बचाव केÛġɉ कà दशा मΛ Úनयम 10 का लागू होना - (1) Úनयम 10 के (17), (46), (47) और (51) के उपबÛध लागू नह8ं हɉगे।(2) Úनयम 10 के अधीन बचाव केÛġɉ के ͧलए मायता देने कà दशा मΛ, खंड (10), (38), (46) और (51) के उपबÛध लागू नह8ं हɉगे।

फाम[

ÂÚत,

हम - (पशुवाÒटका का नाम) कà वÛय Â◌ाणी (संर¢ण) अͬधÚनयम कà धारा 38 H के अÛतग[त माÛयता Â◌ाÜत करना चाहते हɇ। केÛġ8य पशुवाÒटका Â◌ाधकरण के नाम से ǽपये 500/- (ǽपये पांच सौ) का बɇक Ĝ◌ाÝट/पोèटल आड[र संलÊन है।

(1) पशुवाÒटका का नाम .... (2) पशुवाÒटका कà िèथÚत तथा ¢ेğफल......................... (3) èथापना कà Úतͬथ .... (4) Úनयंğण अͬधकार8/चालक का नाम .... (5) गत तीन वषɟ मΛ पशुवाÒटका मΛ आये दश[कɉ कà संÉया (वष[वार) (1) .... (2) .... (3)...............................

सदèय सͬचव, केÛġ8य पशुवाÒटका Â◌ाधकरण (भारत), नई देहल8

.... के सàबÛध मΛ आवæयक जानकार8 Úनàनानुसार है: (पशुवाÒटका का नाम)

(6) एक वष[मΛ दश[कɉ के ͧलए ͩकतने Òदवस पशुवाÒटका खुल8 रहती है।

....

(7) पशुओं कà संÉया जो पशुवाÒटका मΛ Âदͧश[त कà जाती है।

न.	ÂजाÚतयɉ कà संÉया जो Âदͧश[त कà जाती है।	गत वष[के अÛत मΛ उनकà संÉया	पैदा हुए	Â◌ाÜत	मृ×यु	अÛय Úनवत[न	आवेदन कà Úतͬथ कà िèथÚत
(1)	èतन पायी						
(2)	प¢ी						
(3)	रगन वाल जÛत						

1. पया[वरण तथा वन मÛğालय-अͬध. Đ. G.S.R./106 अ/Òद. 6.2.04 ɮवारा धारा 10'क' जोड़ी गई।

(4) जल तथा थल पर चलनेवाले जÛतु(5) मछल8 एवं अÛय(6) ǒबना र8ढ़ वाले जÛतु(8) कटघरɉ कà कुल संÉया:

(9) गत तीन वष[मΛ समािÜत के खरते वाल8Ĥजाǔतयǂ के Ĥजनन कȧ सूची(10) पशु चक×सीय सुवधाएं: (i) खुला खाई युÈत कटघरा(ii) बÛद पंजरे/प¢ी शाला

(a)Èया पूण[कालक पशु चक×सालय है या नह8ं

(11) Èया पशुवाǑटका मΛǑनȡन सुवधाएं उपलÞध ह¢:

(12) èवाèØय सुर¢ा एवं रोग Ǔनयंğण:

(13) दश[कǂ कȧ सुवधाएं:

(14) दश[कǂकȧ सुर¢ाके उपाय:

(15) पशुवाǑटका का गत तीन वष[का आय-åयय पğक

(16) वाष[क ĤǓतवेदन, माग[दश[क पुिèतका, आǑद अÛय Ĥकाशनǂ कȧĤǓतयां Èया:

(b) पशु चक×सालय मΛ उपलÞध सुवधाएं: (i) आपरेशन थयेटर/सिज[कल क¢(ii) एÈस-रे कȧ सुवधा(iii) सुकड़ने वाले पंजरे(iv) भरती मर8जǂ का क¢(v) संĐामक रोगयǂ का क¢(vi) औषधालय(vii) पशुओं के शशुओं को पालने हेतु शशुशाला(viii) पेथालािजकल लेबोरेटर8(ix)èतÞध करने का यंğ व दवायΛ

(i) रसोई घर(ii) भोजन का भंडार गृह(iii) रेĥजरेटर(iv) पीने योÊय जल कȧåयवèथा(v) भोजन के वतरण हेतु गाड़ी/ǐरÈशा आǑद

(i) Èया पशुओं के पीने के लए Ĥदूषण रǑहत पानी उपलÞध है(ii) Èया कटघरǂ से पानी के Ǔनकास कȧ उचत åयवèथा है(iii)Èया कचरे के ĤǓतǑदन Ǔनवत[न कȧåयवèथा है (iv)Èया अǓनçटकार8 कȧट (Pest) तथा .... (Predators) के Ǔनयंğण कȧåयवèथा है(v)Èया रोग Ǔनवारक उपाय, जैसे कȧड़े Ǔनकालना, ट8के लगाना आǑद कये जाते ह¢?

(a)Èया जनसुवधाएं जैसे èनानागार/शौचालय आǑद उपलÞध ह¢? (b)Èया पीने के पानी के काफȧ माğा मΛ नल लगे ह¢(c)Èया दश[कǂ के लये उचत दूर8 पर शरण èथल उपलÞध है(d)Èया दश[कǂ के लये सूचना केÛġ तथा Ĥकृǔत कȧåयाÉया करने के केÛġǂ कȧåयवèथा है।(e) Èया पशुवाǑटका सàबÛधी Ĥश¢ण कȧåयवèथा है।(f) Èया साव[जǓनक दूरभाष केÛġ उपलÞध है। (g) Èया पशुवाǑटका के जलपान गृह एवं .... (Kiosk) कȧ सुवधा है।

(a) कटघरǂ के चारǂ ओर, Ĥभावी, खड़े रहने के लए अवरोध लगे ह¢? (b)Èया चेतावनी के सूचना फलक यथेçट संÉया मΛ लगे ह¢।(c)Èया Ĥाथमक चक×सा कȧ सुवधा उपलÞध है।

आय अनुदान कुल åयय

(17) पशुवाǑटका के भवçय के वकास कȧ योजना (ĤǓतलप संलÊन है)

Appendix –I

बÛद8, मह×वपूण[, èतन पाği Ĥजाǔतयǂ के भोजन/आरामगृह कटघरǂ का Ûयूनतम माप

Family Name of spp कटघरǂ कȧ लàबाई x

	Ĥजाǔत का नाम	चौड़ाई x ऊँचाई
Family Falidae.	शर व चीता (Lion : Tiger) तेÛदुआ (Phanther) तेÛदुआ (Cluded & Snow leopard) छोट8ǒबãल8(Small Cat)	2.75x1.80x3.00 2.00x1.50x2.00 2.00x1.50x1.50 1.80x1.50x1.50
Elephantidae	हाथी (Elephant)	1.80x1.50x1.50
Rhinocerotidae	एक सग भारतीय गडा	8.99x6.00x5.50
Cervidae	Brow antered deer	3.00x2.00x2.50
Boridae	Hangul Swamp deer Musk deer Mouse deer नीलगर8 थार Nilgiri Thar	3.00x2.00x2.50 3.00x2.00x2.50 2.50x1.50x2.00 1.50x100x1.50 2.50x1.50x2.00

	चौसंगा (Four Horned antilope) **जंगल8 भ¢साभारतीय बायसनसुरागाय** (Yak) **मारखोर** (Bharat Goral) Wildsheep & Markhor) **चकारा**	2.50x1.50x2.00 2.50x1.50x2.00 3.00x1.50x2.00 3.00x2.00x2.50 4.00x2.00x2.50
Equidae	**जगल8 गधा**(Wild Ass)	4.00x2.00x2.50
Ursidae	**भारतीय र8छ समह्त Ĥजाǖत** (Indian bear)	2.50x1.80x2.00
Canidae	**गीदड़, भडया, जगल8 क×त**	2.00x1.50x1.50
Vivirri dae	Palm Civet Large Indian Civel & Binturang	2.00x1.00x1.00 2.00x1.50x1.00
Mustalli dae	Otters (All type) Ratel/Hogilad ger Martem	2.50x1.50x1.00 2.50x1.50x1.00 2.00x1.50x1.00
Pracyonidae	Red Panda	3.00x1.50x1.00
Lorisidae	Snow Loris & Slender loris	1.00x1.00x1.50
Cercopithecidae	**बÛदर व लगर**	2.00x1.50x1.00